

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) सिरसला

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

श्री शंकर बनाम राजस्थान सरकार ज़रिये लहसीलदा एत

दावा बाबत नाम डुकस्त 415 88RTN


मुकदमा नम्बर :- 77/2022

निर्णय दिनांक :- 20.05.22

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.05.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

हावा वादी स्वीकार स्वीकार किया जाकर शैही ग्राम लारडुग या खाता सं. 101 खसरा नं. 217, 219, 25 में अंकित गोराम पुत्र रामकुमार के स्थान पर श्री शंकर पुत्र रामकुमार नाम डुकस्त करने की घोषणा की जाती है। लहसीलदा एत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल इरामद के अविषय में किसी भी प्रकार के विवाद की रिपोर्ट के पूर्व नाम, माध्यमों व अधिकार किसी भी प्रकार के अविषय में नहीं रखे जाने चाहिए।

यह आज तारीख 20.05.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	चूरु
		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़	जोड़	



978
20.05.2022